



KESAR ENTERPRISES LIMITED

Regd. Off: Oriental House, 7 Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai-400 020, India. Website : <http://www.kesarindia.com>
Phone : (+91-22) 22042396 / 22851737 Fax : (+91-22) 22876162 E-mail : headoffice@kesarindia.com
CIN : L24116MH1933PLC001996

3rd December, 2014

The Secretary
Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Fax # 2272 3121 / 2272 20 37 / 22722041

Mr. Hari K
Assistant Vice President
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
5th Floor, Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Fax # : 2659 8237 / 2659 8238

Dear Sir,

Sub: Start of Crushing Operations for the Sugar Season 2014-15

Pursuant to Clause 36 and other applicable provisions of the Listing Agreement, this is to inform you that after announcement of Sugarcane Price by the Uttar Pradesh Government & its assurances vide Press Release dated November 12, 2014 (copy enclosed), the Company has commenced Crushing Operations for the Sugar Season 2014-15 at its Sugar Factory at Baheri, Uttar Pradesh, with effect from 2nd December, 2014.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **KESAR ENTERPRISES LTD.**

**D J SHAH
SR. VICE PRESIDENT (LEGAL)
& COMPANY SECRETARY**

प्रेस विज्ञापित

गन्ने के पेराई सत्र 2014-15 के लिये मा0मंत्रि परिषद द्वारा दिनांक 12.11.2014 को निम्नानुसार गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अनुमोदित किया

लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2014

- (i) पेराई सत्र 2014-15 के लिए गन्ने की विभिन्न प्रजातियों हेतु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाय-

अगैती प्रजाति	₹ 290/- प्रति कुंतल
सामान्य प्रजाति	₹ 280/- प्रति कुंतल
अनुपयुक्त घोषित प्रजाति	₹ 275/- प्रति कुंतल

- (ii) किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान दो किशतों में किया जाये। पहली किशत 14 दिन के अन्दर 40 रुपये कम की दर से किया जायेगा, अर्थात् कमशः ₹ 250, 240, 235 प्रति कुंतल की दर से। अवशेष दूसरी किशत पेराई की समाप्ति की तिथि से 03 माह के अन्दर किया जायेगा।

- (iii) जो चीनी मिल 14 दिन के अन्दर पहली किशत का भुगतान नहीं करेंगी, उन पर विधिसम्मत ब्याज तत्समय ही बकाया गन्ना मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

- (iv) पेराई समाप्ति के 03 माह के अन्दर जो चीनी मिल अवशेष दूसरी किशत का भुगतान नहीं करेंगी, उन पर शेष 40 रुपये पर भी विधिसम्मत ब्याज बकाया गन्ना मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

- (v) अवशेष 40 रुपये में से 20 रुपये की निम्नानुसार प्रतिपूर्ति/छूट के रूप में राज्य सरकार की ओर से चीनी मिलों को अनुमन्य होगी -

सोसायटी कमीशन	₹ 6.60 प्रति कुंतल (प्रतिपूर्ति के रूप में)
गन्ना कय कर	₹ 2.00 प्रति कुंतल (छूट के रूप में)
चीनी पर प्रवेश कर	₹ 2.80 प्रति कुंतल (छूट के रूप में)
अतिरिक्त सहायता	₹ 8.60 प्रति कुंतल (प्रतिपूर्ति के रूप में)

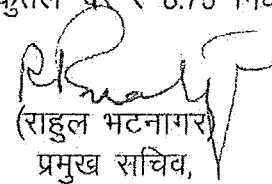
- (vi) अवशेष 40 रुपया के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली रियायतों के अतिरिक्त अवशेष 20 रुपये के भुगतान की देयता निम्नवत् निर्धारित की जायेगी-

दिनांक 01.10.2014 से 31.05.2015 (आठ माह) के दौरान चीनी, शीरा, बैगास प्रेस्ड मड के औसत बाजार मूल्य यदि क्रमशः 3100, 390, 167, 26 रुपये प्रति कुंतल रहते हैं तो, इन शेष 20 रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा ही किया जायेगा। यदि ये औसत मूल्य उक्त से अधिक रहते हैं तो उपर्युक्त प्रस्तर-(v) में उल्लिखित "अतिरिक्त सहायता" ₹ 8.60 प्रति कुंतल में से कमी

की जाये। इस हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाये, जिसमें विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे, जो दिनांक 01.10.2014 से 31.05.2015 तक प्रचलित चीनी, शीरा, बगास, प्रेस्ड मड के मूल्यों तथा अन्य सुसंगत पहलुओं पर सम्यक परीक्षण करते हुये समुचित कमी की संबंध में संस्तुति करेगी।

इसी प्रकार यदि चीनी, शीरा, बगास, प्रेस्ड मड के उक्त औसत मूल्य क्रमशः 3100, 390,167, 26 रुपये प्रति कुंतल से कम रहते हैं तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक विचार/परीक्षण करते हुए तदनुसार शेष 20 रुपये में से अतिरिक्त शासकीय सहायता की संस्तुति करेगी एवं तदनुसार निर्धारित अनुपात में शेष 20 रुपये का वहन चीनी मिलों एवं राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- (vii) सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त सहायता एवं सोसायटी कमीशन की छूट प्रतिपूर्ति के रूप में ही चीनी मिलों को देय होगी।
- (viii) चीनी मिलों के वाह्य कय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती की प्रति कुंतल दर ₹ 8.75 निर्धारित की जाये।


(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन